प्रेसनोट / सराहनीय कार्य

दिनांक- 27.07.2019 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य।

➢ ‘बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान’ बालिकाओं को किया गया जागरुक–

जनपद कुशीनगर में बालिकाओं / छात्राओं / महिलाओं को जागरुक करने के उद्देश्य से चलाये जा रहे ‘बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान’ के क्रम में आज दिनांक 27.07.2019 पुलिस अधीक्षक कुशीनगर राजीव नारायण मिश्र के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान के तहत जनपदीय पुलिस द्वारा कुल 05 विद्यालयों पर 1000 से अधिक छात्राओं को जागरुक करते हुए महिला सुरक्षा व हेल्पलाइन नम्बर जैसे- डायल 100, महिला हेल्प लाइन 181 तथा 1090 के संबन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी दी गयी।

उल्लेखनीय है कि उक्त ‘बालिका सुरक्षा जागरुकता अभियान’ जनपद कुशीनगर के क्रमश: 1-बाल समाज कल्याण जू0हा0 स्कूल जटहां बाजार कुशीनगर, 2-एस. पी.एम. जूनियर हाईस्कूल सेवरही कुशीनगर, 3-बाबु छकौड़ी सिंह इंटर कालेज इंन्द्रपुर सिधावे रामकोला कुशीनगर, 4-श्रीमती रजली देवी इंटर कालेज नेबुआ कुशीनगर, 5-कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय दुदही विशुनपुरा कुशीनगर आदि विद्यालयों में संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त जागरुकता संम्बन्धी प्रचार सामग्री जिसमें 1090 के पोस्टर, यूपी 100 के पोस्टर तथा 1090 के येलो कार्ड आदि शामिल है वितरित किये गये।

➢ अवैध शराब विक्रय / परिवहन / निष्कर्षण के विरुध्द की गयी कार्यवाही-

थाना हाटा –

थाना हाटा पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त सन्तोष पुत्र रामहरख साकिन परसौनी थाना हाटा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 05 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0 313/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना रामकोला –

थाना रामकोला पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त पप्पु भारती पुत्र सितई साकिन बसन्तपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 कच्ची अवैध शराब बरामद कर मु0अ0सं0 208/19 धारा 60 आबकारी के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही-

थाना अहिरौली बाजार-

थाना अहिरौली बाजार पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त रविकान्त पुत्र बनवारी प्रसाद साकिन नयपुर थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अदद चाकू बरामद कर मु0अ0सं0 194/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➢ जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 25 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

➢ कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही कुल-44 वाहन से शमन शुल्क- रु0-12100 ।
2. आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही- मु0-01, अभि0-01, बरामदगी- एक अदद चाकू।
3. **आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही मु0-02, अभि0-02, बरामदगी-** 15 ली0 कच्ची शराब ।

मीडिया सेल
कुशीनगर।